कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री अग्रवाल बिल्डर्स, 1 / 13, बंद रोड, इलाहाबाद।**
प्रार्थना पत्र संख्या व दिनांक	**007 / 13, 12.03.2013**
प्रार्थी की ओर से	**श्री वी0 के0 श्रीवास्तव, विद्वान अधिवक्ता।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री अग्रवाल बिल्डर्स, 1 / 13, बंद रोड, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 12.03.2013 को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया। प्रश्नकर्ता द्वारा विद्युत जनरेटर से विभिन्न कार्यालयों में विद्युत आपूर्ति किया जाता है जिसमें समस्त खर्च, डीजल, लुब्रिकेन्ट्स एवं टूल्स आदि पर व्यय प्रार्थी द्वारा किया जाता है। उनके द्वारा जनरेटर से विद्युत सप्लाई के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले भुगतान पर करदेयता की स्थिति जाननी चाही गयी है।

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु श्री वी0 के0 श्रीवास्तव, विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए, उनके द्वारा प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तथ्यों को दोहराया गया।

3. उपरोक्त संदर्भ में एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, इलाहाबाद जोन इलाहाबाद के पत्र संख्या-437, दिनांक 18.05.2013 द्वारा प्रेषित आख्या में कहा गया है कि '' विद्युत उर्जा '' उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I की प्रविष्टि संख्या-13 पर करमुक्त है। अत: जनरेटर से विद्युत उत्पादन करके यदि विद्युत उर्जा की बिक्री की जाती है तो वह करमुक्त होगी, परन्तु यदि जनरेटर किराये पर दिया गया है तो यह '' उपयोग के अधिकार के अन्तरण '' की श्रेणी में आयेगा एवं ऐसी स्थिति में किराये के रूप में प्राप्त धनराशि पर व्यापारी की करदेयता होगी। अत: यदि प्रकरण केवल विद्युत उत्पादन का है तो यह उपरोक्त आख्यानुसार करमुक्त की श्रेणी में आयेगा, परन्तु यदि जनरेटर किराये पर दिया गया है तो ऐसी स्थिति में किराये के रूप में प्राप्त धनराशि पर व्यापारी की करदेयता होगी।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि प्रार्थी द्वारा पूछे गये प्रश्न का उत्तर सर्वश्री रूप नरायण श्याम नरायण, 19 / 173ए पटकापुर, कानपुर के प्रार्थना-पत्र संख्या-393 / 08 पर कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पारित विस्तृत निर्णय दिनांक 06.04.2009 में दिया जा चुका है। वर्तमान में प्रार्थी द्वारा पूछा गया प्रश्न एवं निर्णय दिनांक 06.04.2009 में निहित प्रश्न पूरी तरह समान हैं। अत: पूर्व में उत्तर दे दिये जाने के कारण पुन: उसी बिन्दु पर करदेयता अभिनिर्धारित करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, इलाहाबाद जोन इलाहाबाद द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि-व्यवस्था का परिशीलन किया गया। पाया गया कि प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गये प्रश्न का उत्तर सर्वश्री रूप नरायण श्याम नरायण, 19 / 173ए पटकापुर, कानपुर के प्रार्थना-पत्र संख्या-393 / 08 पर तत्कालीन कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.04.2009 से पूर्व में ही विस्तृत रूप से दिया जा चुका है पुन: करदेयता के

....2

अभिनिर्धारण की आवश्यकता नहीं है ।

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय ।

दिनांक 22 जनवरी, 2014

ह0 / 22.01.2014

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।